38

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 'अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अड़तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944 (*शक)

अड़तीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 'अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

12.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

12.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, 1*944 (*शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		
प्राक्कथन		
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है	
	अनुबंध	
	समिति की 9.12.2022को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	
	परिशिष्ट	
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के.षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक

23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी .पांडा -अपर सचिव
2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल - संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल -निदेशक
4. श्री कृषेन्द्र कुमार -उप सचिव
5. श्री हाओकीप ककाई - कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 202)22-3 (की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (की 'अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना)बीजेआरसीवाई(' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति)सोलहवीं लोक सभा (के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

.2छब्बीसवां प्रतिवदेन 2 .11.2021.को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (ने 20.7.2022 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अपने उत्तर प्रस्तुत किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 9.12.2022को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3 .सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति)सोलहवीं लोक सभा (के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट पर दिया गया है।

.4 संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **रमा देवी**
09 दिसंबर, 2022 **सभापति,**
18अग्रहायण, 1944) शक(**सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति**

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का यह प्रतिवेदन अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) के संबंध में समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. छब्बीसवां प्रतिवेदन 02.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 12 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-

(कुल:03, अध्याय-दो)

सिफारिश पैरा सं: 5.19, 5.21 और 6.7

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:-

सिफारिश पैरा सं: 2.13, 3.21, 4.17, 4.18 और 5.20

(कुल: 05, अध्याय-तीन)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: -

(कुल:04, अध्याय - चार)

सिफारिश पैरा सं: 2.12, 3.19, 3.20 और 4.16

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर

(कुल: शून्य)

अंतरमि प्रकृति के हैं: - **शून्य**

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण उन्हें यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं और किसी भी स्थिति में यह अवधि इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने से तीन माह से अधिक न हो।

4. अब समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाना अपेक्षित है या टिप्पणियां किया जाना जरूरी है।

सिफारिश (पैरा सं. 2.12)

5. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की 60 वर्ष पुरानी योजना 2008 से बीजेआरसीवाई के नाम से चल रही है। इस योजना मे अनेक बड़े संशोधन हुए हैं। हाल का संशोधन यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना के लिए बजट आवंटन को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) में मिला दिया गया है और इसके साथ में दो अन्य योजनाएं नामत: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) तथा अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू एससीएसपी) हैं। मंत्रालय ने समिति को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि इससे अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए असीमित निधियां प्राप्त होंगी। समिति यह जानकर आश्चर्य व्यक्त करती है कि अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच के दौरान मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि इसमें वृद्धि किए जाने के बजाए 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन 160.00 करोड़ रुपए घटा दिया गया है क्योंकि 2020-21 पीएमएजीवाई के लिए बजट आवंटन तथा एसीए टू एससीएसपी और बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वास्तविक व्यय जोड़ने पर 1960.00 करोड़ रुपए बैठता है जबकि 2021-22 के दौरान यह मात्र 1800.00 करोड़ रुपए है। इसके अलावा छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग आवंटन को एक साथ मिला दिया गया है और 2019-20 से घटाया गया एकल आवंटन किया जा रहा है। समिति विभाग के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है कि एकल आवंटन से आवश्यकता का बेहतर आकलन, आयोजना तथा संसाधनों का अधिक सफल तरीके से उपयोग हो पाएगा क्योंकि योजना का कार्य-निष्पादन अत्यंत निराशाजनक रहा है क्योंकि विभाग ने 2007-08 से 2020-21 तक की 13

वर्षों की अवधि में मात्र 819 छात्रावासों को मंजूरी दी है। इसमें से 2016-17 से अब तक मात्र 110 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है इसलिए समिति को इस बात का विश्वास दिलाए जाने की आवश्यकता है कि बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रावासों के लिए तेजी से मंजूरी मिले और इनका वास्तविक निर्माण हो जिससे यह विश्वास बन सके कि अब यह कार्य एकल आवंटन से अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। समिति महसूस करती है कि अन्य योजना से प्रभावित हुए बिना अथवा अन्य योजनाओं को प्रभावित किए बिना इसके स्वतंत्र कार्यकरण के लिए विशिष्ट आवंटन जारी रहना चाहिए था। बीजेआरसीवाई सहित तीन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान 2021-22 में पीएम-अजय के अंतर्गत कर दिया गया है। समिति आशा करती है कि पीएम-एजेएवाई आवंटन में से हर योजना के अंतर्गत कम-से-कम आंशिक आवंटन करना चाहिए था जिसमें छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए अलग-अलग आवंटन हो ताकि प्रत्येक योजना आवंटित निधियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करे और प्रत्येक योजना की सफलता का आकलन उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर हो। समिति विभाग से आशा करती है कि वह पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत बीजेआरसीवाई को सफल बनाने के लिए नई निधि की व्यवस्था के समर्थन और औचित्य को सिद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई के स्तर पर उसे वो आंकड़े प्रदान करे जो आंकड़ काफी समय से लंबित मंजूरी प्राप्त छात्रावासों को शीघ्र पूरा करने तथा जरूरतमंद ब्लॉको/जिलों में अधिक संख्या में मंजूरी के संदर्भ में दिए गए हों, जैसा कि इस विषय चर्चा के दौरान बार-बार यह बात कही गई है।"

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:-

"पीएमएजीवाई,एससीएस से एससीपी एवं बीजेआरसीवाई के घटकों के अंतर्गत निधि आवंटन, वर्ष 2020-21 के दौरान 1960 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2021-22 के दौरान 1800 करोड़ रुपए था, यह उल्लेख किया जाता है कि पीएम-अजय हेतु उक्त राशि आवंटित की गई है जिसमें बीजेआरसीवाई घटकों में से एक है तथा यह विशिष्ट रूप से बीजेआरसीवाई के लिए नही हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वास्तविक व्यय 56.39 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान, यह 42.54 करोड़ रूपए हो गया है। चूंकि छात्रावासों के निर्माण हेतु बीजेआरसीवाई घटक मांग वाहित तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए आवश्यकता आकलन पर आधारित है इसलिए व्यय में कमी का कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से छात्रावासों के निर्माण/विस्तार तथा मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पूर्ण प्रस्तावों की कम संख्या प्राप्त होना था। व्यय समिति ने पीएम-अजय की विलयित स्कीम को जारी रखने की सिफारिश करते हुए स्कीम के लिए निर्धारित निधि के वर्षवार आवंटन की सिफारिश की है जिसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय /संस्थानों द्वारा छात्रावासों के निर्माण/विस्तार/मरम्मत और रखरखाव के लिए

2% निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, अनुदान सहायता घटक के लिए निर्धारित निधियों के 30% तक का उपयोग छात्रावासों सहित अवसंरचनात्मक ढ़ाचे के विकास हेतु किया जा सकता है जिसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हैं। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुदान सहायता घटक के अंतर्गत वर्ष 2022-23 हेतु निधियों के सांकेतिक आवंटन के बारे में कार्यान्वयनकारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है ताकि वे वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में सक्षम हो सकें।"

7. समिति ने बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) के 'प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना' (पीएम- एजेएवाई) के साथ-साथ दो अन्य योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और 2021-22 में अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए) के साथ विलय के संबंध में चिंता व्यक्त की थी और समिति ने यह महसूस किया कि विनिर्धारित आवंटन के अभाव में किसी भी योजना की सफलता का आकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, पीएम-एजेएवाई आवंटन से प्रत्येक योजना के तहत कम से कम अनुमानित आवंटन किया जाना चाहिए था। तदनुसार, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पीएम-एजेएवाई के तहत बीजेआरसीवाई के लिए निधि व्यवस्था की नई प्रणाली को सफल बनाने और उचित ठहराने के लिए डाटा प्रदान करे। तथापि, समिति को यह दर्शाने के लिए कि छात्रावासों के निर्माण कार्य की गति में सुधार हुआ है और नई निधि की व्यवस्था शुरू होने के पश्चात् और अधिक छात्रावास अनुमोदित किए गए हैं, कोई सहायक डाटा/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मानना है कि पीएम-एजेएवाई के तहत स्वीकृत निधि का 2% निर्माण/विस्तार, मरम्मत और रखरखाव के लिए निर्धारित करने और छात्रावासों सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता अनुदान का 30% निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति का स्थापित प्रथा के साथ तालमेल नहीं है और अनुसूचित जाति के बालकों/बालिकाओं के लिए बीजेआरसीवाई योजना के तहत छात्रावासों के निर्माण की परियोजना, जिसपर पहले से ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, के विनिर्माण

धीमा हो जाएगा। इसके अलावा, असफलताओं के बावजूद सामाजिक कल्याण की योजनाओं को सरकार द्वारा जोर शोर से जारी रखने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति अपनी पूर्व की सिफारिश दोहराती है और इच्छा व्यक्त करती कि विभाग पीएम-एजेएवाई के तहत प्रत्येक योजना के लिए अनुमानित आवंटन के मुद्दे की फिर से जांच करे ताकि बीजेआरसीवाई सहित किसी भी योजना की उपेक्षा न की जा सके। समिति आगे चाहती है कि विभाग सहायता अनुदान घटक के तहत वर्ष 2022-23 के लिए निधियों के अनुमानित आवंटन का विवरण प्रदान करे, जिसे कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ साझा किया गया था। समिति चाहती है कि विभाग वर्तमान प्रणाली के औचित्य में आंकड़े उपलब्ध कराए।

सिफारिश (पैरा सं.3.19)

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

"समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि विभाग के पास इस योजना के तहत स्थापित सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों का ब्यौरा नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान काफी पहले 1961-66 में किया गया था। वस्तुत:, विभाग केवल ऐसे छात्रावासों का ब्यौरा समिति को उपलब्ध करा पाया था, जिन्हें 2007-08 में योजना में संशोधन के बाद स्वीकृत/पूर्ण किया गया था। इसके लिए विभाग का स्पष्टीकरण यह था कि 2007-08 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालचय का पुनर्गठन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कुछ विभागों को इनसे अलग कर मंत्रालय बनाया गया था। फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तब से इस योजना के लिए केवल 46 वर्ष (1961-2007) का रिकार्ड प्राप्त नहीं कर पाया है। समिति के समक्ष पेश होने पर विभाग दो बार समिति को ठोस जवाब नहीं दे पाया। यह बाद में सूचित किया गया कि समिति के आग्रह के बाद अभिलेखों को पुन: प्राप्त करने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें परियोजना निगरानी इकाई से सूचना एकत्र करने के लिए कहा गया है। समिति को आशा है कि विभाग ने अब तक स्वीकृत सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों के विवरण के संकलन के लिए व्यापक कार्य किया है और चाहती है कि विभाग के सचिव द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार की गई कार्रवाई के स्तर पर इस संबंध में की गई प्रगति/एकत्र आंकड़ों की जानकारी से समिति को अवगत कराया जाये।"

9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:-

"यह उल्लेख किया गया था कि विगत में कई बार मंत्रालयों के पुनर्गठन, सीमित स्टाफ संख्या रिकार्ड के बारंबार स्थानांतरण संस्थागत स्मृति से युक्त स्टाफ के बार-बार स्थानांतरण के कारण समस्त रिकार्ड का पता करना बहुत मुश्किल है। विभाग के वर्तमान स्टाफ के अथक प्रयासों से तत्कालीन बीजेआरसीवाई स्कीम के कार्यान्वयन का वर्ष 2007-08 से वर्तमान समय तक लगभग पूरा रिकार्ड प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। अब तक मंजूर सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों का विवरण संकलित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेआरसीवाई स्कीम के अंतर्गत छात्रावासों की पूर्णता स्थिति और मंजूर/जारी निधियों की अपयुक्त स्थिति पर टिप्पणियां मांगते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 19.05.2021 और 13.01.2021 को पत्र लिखे गए थे। इसके अलावा, इन राज्यों को दिनांक 16.11.2021 और 05.03.2021 की वीडियो कांफ्रेस के दौरान यह सूचना प्रस्तुत करने के लिए गया गया था। कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्मित छात्रावासों के विवरण वाले डाटाबेस को, समय-समय पर, अद्यतन किया जा रहा है।"

10. समिति ने बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) के तहत वर्ष 1961 से 2007 तक निर्मित छात्रावासों का डाटा या संशोधित डाटा उपलब्ध कराने में विभाग की असमर्थता पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी। मंत्रालय के साथ विभिन्न अवसरों पर बातचीत के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया था। तदनुसार, समिति ने आशा व्यक्त की थी कि विभाग ने उनकी इच्छा के अनुसार डाटा के संकलन के लिए कठिन परिश्रम किया होगा। उन्हें बेहद निराशा हुई कि विभाग ने अद्यतन जानकारी प्रदान करने के बजाय यह सूचित किया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 19.5.2021 का एक पत्र भेजा गया था और 16.11.2021 और 25.03.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में जानकारी भी मांगी गई है। यह समझ से परे है कि लगभग 46 वर्षों का डाटा पूरी तरह से गायब कैसे है। समिति यह जानकर भी आश्चर्यचकित है कि विभाग द्वारा इस मामले पर शायद ही कोई कार्रवाई की गई है। समिति विभाग के इस लापरवाह रवैये से काफी नाखुश है और उन्हें रिकार्डों को अपडेट करने के लिए ठोस उपाय करने का निर्देश देती है क्योंकि पत्र भेजने का नियमित कार्य निरर्थक

साबित हो सकता है। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे न केवल तत्काल रिकॉर्ड अपडेट करने में सक्षम हों, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखे जाएं ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह के किसी भी संकट का सामना न करना पड़े।

सिफारिश (पैरा सं. 3.20)

11. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

"समिति यह नोट कर दुखी है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्न साक्षरता जिलों के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में बालिका/बालक छात्रावास बनाने की योजना के उद्देश्य से 2007-08 में योजना में संशोधन के बाद से केवल 819 छात्रावासों अर्थात लड़कियों के लिए 391 और लड़कों के लिए 271 को ही मंजूरी दे पाया है। इनमें से अब तक केवल 662 का ही निर्माण हुआ है, 144 निर्माणाधीन बताये गए हैं और 13 को राज्यों ने विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया है। 2018 और 2020 में इस योजना में और संशोधन के बाद, जहां गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों/मानद विश्विवद्यालयों को उनके छात्रावासों के विस्तार और अनुसूचित जाति की आबादी के मानदंडों को 20 प्रतिशत या उससे अधकि से घटाकर 15 प्रतिशत या उससे अधिक करने के संबंध में दो बड़े निर्णय लिए गए थे, उसके बाद यह योजना अवरुद्ध हो गई क्योंकि उसके बाद विभाग केवल 62 छात्रावासों को ही मंजूरी दे पाया है। पूछे जाने पर विभाग ने खराब निष्पादन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि इस योजना के तहत छात्रावास के निर्माण की मंजूरी उनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करने पर निर्भर करती है। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि तुलनात्मक रूप से अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पंजाब, बिहार आदि को कम छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और यहां तक कि कई मामलों में स्वीकृत छात्रावासों को भी चालू नहीं किया गया है। इसलिए समिति का दृढ़ विश्वास है कि इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी विभाग की है क्योंकि उनके द्वारा छात्रावास सुविधा निर्माण के लिए यह योजना शुरू की गई थी ताकि देश के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की लड़कियां/लड़के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त और पूर्ण कर सकें और इसलिए वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्तावों के अभाव में बीजेआरसीवाई के प्रदर्शन में सुधान के लिए अपनी लाचारी व्यक्त करने में न्यायोचित नहीं है। चूंकि उपलब्ध छात्रावासों की संख्या अभी भी मौजूदा अनुसूचित जाति की आबादी की तुलना में बहुत कम है और अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रावासों की आवश्यकता होती है, इसलिए विभाग को नियमित रूप से अपनाए गए सामान्य उपायों से परे अभिनव विचारों के बारे में सोचना चाहिए। चूंकि विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह तत्काल आवश्यक है कि सबसे पहले पूरे भारत

में विभिन्न जिलों में छात्रावासों के लिए एक विश्वसनीय डाटाबेस बनाया जाए, जिसे केंद्रीय स्तर पर वास्तविक समय आधार पर अद्यतन करने और निगरानी की सुविधा हो। समिति को इस बात का भी आश्चर्य है कि जब इसके लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता की जा सकती है तो कमी वाले जिलों में छात्रावासों की योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती। तथापि पहले उचित मापदंडों/बेंचमार्कों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार की जा सके। इसके लिए डाटा संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता होगी। समिति इस बात पर जोर देती है कि यथा लक्षित योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति अब इस तरीके से विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी ताकि दो वर्ष की समय सीमा में अपेक्षित संख्या में छात्रावास स्वीकृति, निर्माण और प्रारंभ किए जा सकें।"

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:-

"तत्कालीन बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना स्कीम मांग वाहित स्कीम है जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियां छात्रावासों के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। स्कीम के अंतर्गत नए छात्रावासों/वर्तमान छात्रावासों के विस्तार की योजना बनाते हुए किसी भी नए छात्रावास के निर्माण पर विचार करने से पहले कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लक्षित लाभार्थियों का मांग आधारित मूल्यांकन सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा, 15%और इससे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले और अनुसूचित जाति छात्रों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है। छात्रावासों की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष रूप से कम सेवित क्षेत्रों में, कार्यान्वयन एजेंसियों को बार-बार सूचित किया जाता है और उन्हें आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण करने तथा तद्नुसार, छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। संचालनरत छात्रावासों की उपलब्धता का डाटाबेस बनाए रखने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुसूचित जाति लाभार्थी छात्रों के लिए छात्रावासों की उपलब्धता, बीजेआरसीवाई की तत्कालीन स्कीम के अंतर्गत छात्रावासों की मंजूरी, उनके संचालन और छात्रावासियों की स्थिति आदि के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

पीएम-अजय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की मंजूरी की तारीख से निर्माण पूर्व कार्यकलापों सहित छात्रावासों को 27 (सत्ताईस) माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय कार्यान्वयन एजेंसियां निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा प्रदान करेंगी, जो किसी मामले में

अधिकतम विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय किसी भी मामले में किसी भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और/अथवा अधिक लागत को वहन नहीं करेगा और कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब पर जीएफआर उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"

13. समिति को यह जानकर क्षुब्ध है कि 2007-2008 में योजना के संशोधन के बाद भी निम्न साक्षारता वाले जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाने के लक्ष्य की तुलना में केवल 819 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। विभाग का यह तर्क कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के अभाव में बीजेआरसीवाई के निष्पादन में सुधार करने में वह लाचार है, मान्य नहीं है। समिति इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करने में हितधारकों का मार्गदर्शन करने के लिए पिछड़े जिलों में उनके द्वारा छात्रावासों की योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती है जबकि इसके लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि पहले उपयुक्त मानदंड/बेंचमार्क निर्दिष्ट किए जाएं ताकि एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार की जा सके। इस संबंध में विभाग का उत्तर प्रकृति में बहुत सामान्य है। इस परिदृश्य से, समिति यह महसूस करती है कि विभाग यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि कार्यान्वयन एजेंसियों को आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण करने और छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति का दृढ़ विश्वास है कि नोडल विभाग को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना की प्रगति के कार्यान्वयन और निगरानी में अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसलिए समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है और आशा करती है कि विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से और अधिक प्रस्ताव प्राप्त हों और निम्न साक्षारता वाले जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाने के महान उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

सिफारिश (पैरा सं. 4.16)

14. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

"समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि अनुसूचित जाति के बालिकाओं और बालकों के लिए स्वीकृत कुल 819 छात्रावासों में से 144 छात्रावासों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और 13 छात्रावासों को रद्द कर दिया गया है। समिति ने पाया है कि 2008-09 के रूप में इनमें से कई छात्रावासों को स्वीकृत किए जाने के बाद से कई छात्रावासों के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब हुआ है। इसके अलावा 8 निजी हॉस्टलों का काम भी अधूरा है। समिति ने महसूस किया कि 6 दशक से योजना अस्तित्व में होने के बावजूद विभाग ने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया है जिससे स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण समय पर हो सके। हालांकि, अब 2018 और 2020 में योजना में संशोधन के बाद, विभाग द्वारा परियोजना निगरानी इकाईयों को काम की प्रगति पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी देने के साथ्-साथ यह शर्त शामिल करने सहित कई पहलें की जा रही हैं कि जिस भूमि पर छात्रावास का निर्माण किया जाना है, वह या तो राज्य सरकार के स्वामित्व में होनी चाहिए या संस्थान के स्वामित्व में होनी चाहिए और भूमि का शीर्षक किसी भी विवाद से मुक्त होना चाहिए, जिसके सकारात्मक पिरणाम सामने आएंगे। समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि विभाग छात्रावासों के निर्माण के लिए ऐसे संस्थानों को तरजीह देगा जिनकी अपनी खुद की बड़ी भूमि हो। समिति आशा करती है कि अब इन प्रणालियों के लागू होने के साथा, उपर्युक्त 144 छात्रावासों का निर्माण दो साल की निर्धारित समय सीमा के भीतर कर लिया जाएगा। समिति विभाग को सुझाव देती है कि निर्धारित समयावधि से अधिक विलंबित परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों में उपयुक्त दंड प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि निजी संस्थानों को अब तक स्वीकृत छात्रावासों का कार्य पूरा हो सके। रद्द किए गए छात्रावासों के लिए संबंधित राज्य/यूटी सरकारों को नए और पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग अपने की गई कार्रवाई टिप्पणियों में विभाग द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दे।"

15. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:-

"पीएम-अजय की विलयित स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परियोजना की मंजूरी की तारीख से निर्माण पूर्व कार्यकलापों सहित छात्रावासों को 27 माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया

जाना चाहिए। केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय कार्यान्वयन एजेंसियां निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा प्रदान करेंगी जो किसी मामले में अधिकतम विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय किसी भी मामले में किसी भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और/अथवा अधिक लागत को वहन नहीं करेगा और कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब पर जीएफआर उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तथापि, यह पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान शामिल करने से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्कीम का त्वरित कार्यान्वयन प्रभावित होगा। पीएम-अजय की विलयित स्कीम के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों में पहले ही उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय किसी भी मामले में किसी भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और लागत को वहन नहीं करेगा और कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब पर सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग, इन कार्यान्वयन एजेंसियों को अब तक मंजूर छात्रावासों की पूर्णता स्थिति, संचालन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है।"

16. समिति ने पाया था कि 144 छात्रावासों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, 13 छात्रावास रद्द कर दिए गए हैं और 8 निजी छात्रावासों का कार्य अधूरा है। तदनुसार, समिति ने आशा व्यक्त की थी कि योजना के संशोधन के बाद 144 छात्रावासों का कार्य निर्धारित समय-सीमा के साथ पूरा कर लिया जाएगा और यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि उपयुक्त उपाय किए जाएं ताकि निजी संस्थानों को अब तक स्वीकृत छात्रावास पूरे हो जाएं और जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रावास रद्द किए गए हैं, उन्हें नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि विभाग द्वारा उनके द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। समिति को यह जानकर निराशा हुई है कि विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अब तक स्वीकृत छात्रावासों को पूरा करने, प्रचालनात्मक बनाने की स्थिति को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है। वे इसके कारणों को समझने में असफल हैं। समिति का मानना है कि विभाग के पास एक अंतर्निहित तंत्र होना

चाहिए ताकि बाधाओं को समय पर दूर करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी उनके पास आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है और आशा करती है कि विभाग द्वारा इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश (पैरा सं. 5.19)

समिति ने नोट किया कि छात्रावासों के संचालन और उनके रखरखाव के लिए विशेष रूप से कार्यान्वयन अभिकरण उत्तरदायी हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, हॉस्टलों के छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सहित गर्ल्स हॉस्टलों में हाउस कोचिंग, मेडिकल केयर, आवधिक स्वास्थ्य शिविर, आईटी शिक्षा, खेल कोचिंग, लेडी वार्डन और रात्रि चौकीदार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी होती हैं। छात्रावासों में दाखिले के बारे में प्रचार के लिए भी कार्यान्वयन अभिकरण जिम्मेदार हैं। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभवत एक नैमित्तिक कार्य बन गया है और इसलिए वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। छात्रावासों में रह रहे छात्रों को कार्यान्वयन अभिकरणों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसा और भी आवश्यक है क्योंकि वे समाज के उन गुटों के हैं जो भय/विश्वास की कमी के कारण अपनी समस्याओं के बारे में आगे नहीं आते हैं। इसलिए समिति चाहेगी कि विभाग अपनी भूमिका को वित्तपोषण से आगे विस्तारित करे। विभाग को नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार छात्रावास प्रबंधन समितियों के माध्यम से छात्रावास प्रबंधन समितियों के माध्यम से छात्रावास का ट्रैक रखने और उपयुक्त डिजिटाइज्ड तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सदियों पुरानी प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय सभी संबंधित जानकारी विभाग के पास आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसा कि समिति द्वारा पहले ही जोर दिया गया है, विभाग को अध्याधवास स्थिति के बारे में तात्कालिक जानकारी रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि छात्रावासों में शत-प्रतिशत अध्यावास हो। समिति यह भी इच्छा करती है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को औचक निरीक्षण/सामाजिक अंकेक्षण के अलावा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि प्रत्येक शिकायत/शिकायत का बिना किसी विलम्ब के उचित समाधान किया जा सके।

सरकार का उत्तर

स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए केन्द्रीकृत एमआईएस पोर्टल विकसित करके आरंभ किया गया है ताकि स्कीम के छात्रावास घटक सहित प्रत्येक घटक का वास्तविक समय आधार पर डाटा संकलित किया जा सके। पोर्टल

अब संचालनरत है। कार्यान्वयन एजेंसियां छात्रावास निर्माण कार्य का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेंगी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। कार्यान्वयन एजेंसियां, निवासियों की प्रतिशतता, बालिका छात्रावास में महिला वार्डन और चौकीदार की उपलब्धता सहित छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं, अकादमिक कार्यनिष्पादन जैसे परिणामों आदि के संबंध में मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सूचित करते हुए छात्रावास के छात्रावासियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित करेंगी।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं.5. 21)

योजना के समग्र आकलन के बारे में समिति का मानना है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजना क्रमश 66-1961:और 90-1989से लागू की गई है जिसके बाद 2008-2007 में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना लागू है, जिसे दो बार 2018 और 2020 में संशोधित किया गया था। अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए परिवर्तन लाने के बावजूद इस योजना को शुरू नहीं किया गया है, हालांकि इस योजना में बार-बार परिवर्तन किए गए हैं। अब तक केवल 819 छात्रावासों की स्वीकृति मिली है ओर अब तक 662 का निर्माण हो सका है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि इनमें से वास्तव में संचालित हॉस्टलों की संख्या महज 366 यानी अजा लड़कियों के लिए 344 और अज लड़कों के लिए 22 है। यह देश में इतनी बड़ी अनुसूचित जाति की गरीब आबादी के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। समिति यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हुई है कि इस योजना का संचालन लगातार नोडल विभागों द्वारा अपेक्षित उत्साह और जोश के साथ नहीं किया गया है। सबसे आश्यर्च की बात यह है कि वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2004 से विशेष मंत्रालय बनाने के बाद भी सइ योजना ने अच्छा कार्य नहीं किया है। यह तथ्य कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 15 वर्षों की अवधि के बाद भी 08-2007में योजना में संशोधन से पहले स्थापित छात्रावासों का रिकार्ड प्राप्त नहीं कर पाया है, इसका पर्याप्त प्रमाण है। हालांकि समिति को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि छात्रावासों के निर्माण और प्रगति की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक परियोजना निगरानी इकाई लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को बढ़ावा देगी, समिति को संदेह है क्योंकि विभाग के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि एक इकाई पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें युवा पेशेवरों को दशकों से लटक रही एक योजना को सुधारने की आशा के साथ लगाया गया है। हालांकि समिति को विभाग के सर्वोत्तम इरादों पर भरोसा है, फिर भी उनका

मानना है कि यदि इस योजना को अपने प्रतिष्ठित उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो विभाग को अपने तंत्र पर फिर से विचार करने और खामियों को दूर करने और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) पीएम-अजय (की नई पहल के तहत लीकेज को दूर करने के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधानों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसलिए समिति मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों आदि की तर्ज पर योजना के संचालन के लिए समर्पित निकाय के गठन पर विचार करने की पुरजोर सिफारिश करती है, क्योंकि अब इस योजना को पूर्णत :केंद्र द्वारा वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का उत्तर

पीएम-अजय की विलयित स्कीम के दिशा-निर्देश में केन्द्रीय/राज्यों के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान हैं। समग्र मार्ग-दर्शन और स्कीम की निगरानी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और निकायों के प्रतिनिधियों के अलावा इसमें पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

इसके अलावा, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण पर अधिकारियों की सहायता के लिए राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं. 6.7)

समिति यह जानकर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि छात्रावासों के निर्माण/निर्माण कार्य पूरा होने की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए तथा कार्यकरण और अध्यावास की निगरानी करने के लिए संचालन समिति का प्रावधान होने के बावजूद, न तो निर्माण कार्य और न ही छात्रावासों का कार्यकरण संतोषजनक है। उसे आश्चर्य है कि क्या ऐसी समिति अस्तित्व में है, तथा, यदि अस्तित्व में है, तो क्या उसकी बैठकें विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं। यदि कार्य को गंभीरता से लिया जाता तथा विलंब से चल रही

परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय दौरे किए जाते तो यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे नहीं चलती। अब यह कार्य परियोजना निगरानी इकाइयों को दे दिया गया है इसलिए समिति को विश्वास है कि इस स्थिति में सुधार होगा। वास्तविक प्रगति जानने के लिए समिति को परियोजना निगरानी इकाई के निष्कर्षों तथा आदानों पर आधारित भावी कार्य योजना के बारे में जानने की जरूरत है। समिति की यह भी पुरजोर राय है कि इस योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए छात्रावासों की प्रगति और उनके कार्यक्रम की निगरानी करने हेतु एक छात्रावास निगरानी समिति गठित की जा सकती है जो केवल यही कार्य करे तथा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उचित दंड के विधान किए जा सकते हैं। समिति महसूस करती है कि निगरानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्षम निगरानी तंत्र के बारे में नीति आयोग की सिफारिशों को इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए इस योजना के दिशा निर्देश में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

स्कीम के समग्र मार्ग-दर्शन में और निगरानी के लिए दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय/राज्यों, जैसा भी मामला हो, के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान हैं। समग्र मार्ग दर्शन और स्कीम की निगरानी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और निकायों के प्रतिनिधियों के अलावा इसमें पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

तथापि, यह पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान शामिल करने से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्कीम का त्वरित कार्यान्वयन प्रभावित होगा। पीएम-अजय की विलयित स्कीम के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों में पहले ही उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय किसी भी मामले में किसी भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और अधिक लागत को वहन नहीं करेगा और कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब पर सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्कीम के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अधिकारियों की सहायता के लिए स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी में प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए निगरानी तंत्र को और आगे बढ़ाते हुए इसके दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना की जाएगी। इसके साथ-साथ स्कीम के

प्रत्येक घटक का वास्तविक समय आधार पर डाटा संकलित करने के लिए केन्द्रीकृत एमआईएस पोर्टल आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण विकास अथवा समाज विज्ञान अथवा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से स्कीम के स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाएंगे अथवा एनएसएसओ जैसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की अन्य नामित एजेंसी भी स्कीम कार्यान्वयन का स्वतंत्र सर्वेक्षण/मूल्यांकन कर सकती है।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

अध्याय-तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश (पैरा सं. 2.13)

समिति यह जानकर हतप्रभ हुई कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के एक प्रस्ताव को इस तथ्य के बावजूद व्यय वित्त समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी गई कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान अतिरिक्त निधियों का उपबंध पहले से ही मौजूद था। समिति महसूस करती है कि इस प्रकार के आवासीय विद्यालयों की स्थापना से नि:संदेह अनुसूचित जाति की बालिकाओं को अपने शैक्षिक सतर में वृद्धि करने का एक अवसर प्राप्त होगा क्योंकि प्राय: देखा जाता है कि शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण अनुसूचित जाति की बालिकाओं को स्कूलिंग में अपने भाइयों की तुलना वरीयता नहीं मिलती है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि छात्रावास की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर छात्राओं के माता-पिता भी उन्हें अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। इस संदर्भ में समिति यह भी महसूस करती है कि अनेक राज्यों में अभी भी मौजूदा सरकारी विद्यालयों का शैक्षिक स्तर उत्साहजनक नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार का देश में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना को बंद करना उचित समय से पूर्व उठाया गया कदम होगा। इसलिए समिति चाहती है कि इस संसदीय समिति की भावनाओं से अवगत कराते समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालयों की

स्थापना करने के अपने पूर्व प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के विचार हेतु पुन: प्रस्तुत करे तथा उचित समय पर इससे उसे भी अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

पीएम-अजय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले/राज्य/केन्द्रीय मंत्रालय जवाहर नवोदय विद्यालय सोसायटी/एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सोसायटी और राज्य/स्थानीय निकायों के माध्यम से आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव भेज सकते हैं। अनुसूचित जाति बहुल जिलों में वर्तमान आवासीय विद्यालयों के विस्तार की परियोजना को जेएनवी, ईएमआरएस अथवा इसी तरह के वर्तमान अवसंरचना विस्तार द्वारा इन विद्यालयों में और अधिक अनुसूचित जाति छात्रों को शामिल करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। विस्तारित क्षमता का उपयोग और अधिक अनुसूचित जाति छात्रों के नामांकन के लिए किया जाएगा।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं.3.21)

समिति ने हाल में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक वाले कुछ संस्थानों और कुछ आकांशी जिलों के लिए ऐसे छात्रावासों की आवश्यकता/मांग का व्यापक मूल्यांकन किया है कि एनआईआरएफ रैंक वाले कुछ संस्थानों और कुछ आकांक्षी जिलों ने छात्रावासों की आवश्यकता को दर्शाया है। समिति ने यह भी नोट किया कि विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के तहत एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है। समिति महसूस करती है कि अपेक्षित छात्रावासों का मूल्यांकन बिना किसी विलम्ब के समयबद्ध तरीके से किया जाना

चाहिए, जिसमें क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाये ताकि कार्य सावधानीपूर्वक किया जा सके और निश्चित कार्रवाई करने के लिए निर्णय लेने हेतु विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किए जा सकें। समिति छात्रावासों के आकलन की संख्या और की गई कार्रवाई के स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए तय मापदंडों संबंधी जानकारी से अवगत होना चाहेगी। समिति यह जानकर हैरान है कि आज भी इस योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है और महसूस करती है कि ऑनलाइन पोर्टल बनाने से छात्रावासों की मंजूरी और निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से तेज करने में मदद मिलेगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को बिना किसी विलम्ब के ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए और इस संबंध में समिति को सूचित करें।

सरकार का उत्तर

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की तत्कालीन स्कीम केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। बीजेआरसीवाई की स्कीम के पीएम-अजयस्कीम में विलय के पश्चात पीएम-अजय स्कीम के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई है कि नए छात्रावासों/वर्तमान छात्रावासों के विस्तार की योजना बनाते हुए किसी भी नए छात्रावास के निर्माण पर विचार करने से पहले कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लक्षित लाभार्थियों का आवश्यकता आधारित मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मूल्यांकन सर्वेक्षण की कार्य पद्धतियों का निर्णय संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लिया जाता है।

पीएम-अजय स्कीम की विलयित स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरंभ कर उसे संचालनरत कर दिया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियां इस पोर्टल के माध्यम से अपनी वार्षिक कार्ययोजनाएं और अन्य सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं.4.17)

समिति ने पाया है कि इस योजना के तहत बहुत पहले स्वीकृत 144 छात्रावासों का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिनमें से 8 छात्रावास निजी संस्थानों के अधीन हैं। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, विभाग ने चार बार रिमाइंडर भेजा और एक वीडियो कांफ्रेंस भी आयोजित की, हालांकि शायद ही कोई परिणाम निकला। समिति ने विभाग द्वारा अब उन 14 राज्यों में 20 कर्मियों की टीम भेजने के लिए की गई पहल की सराहना की है, जहां अधूरे हॉस्टलों की सूचना है, ताकि वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा सके। जैसा कि समिति के समक्ष विभाग द्वारा वायदा किया गया है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उन्हें तस्वीरों के साथ एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। समिति को आशा है कि यह रिपोर्ट की गई कार्रवाई के स्तर पर भेजी जाएगी।

सरकार का उत्तर

कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ निरंतर संपर्क रखा जाता है तथा उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में छात्रावासों को पूरा करने की सलाह दी जाती है। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए टीम से रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं.4.18)

समिति ने नोट किया है कि 2018 में बीजेआरसीवाई के दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद छात्रावासों के विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठनों, निजी संस्थानों और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई है। इससे पहले ऐसे संस्थानों के लिए 62 हॉस्टल स्वीकृत किए गए थे। हालांकि समिति का मानना है कि इस प्रावधान को बंद करने से पहले इस मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कुछ निजी संस्थान/डीम्ड विश्वविद्यालय देश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, हालांकि ऐसे संस्थानों में अध्ययन करना अनुसूचित जाति के छात्रों के साधनों से परे बहुत

महंगा हो सकता है। यदि बीजेआरसीवाई के तहत निर्माण किया जाता है तो कम से कम ऐसे छात्रों को मुफ्त छात्रावास का लाभ मिल सकता है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि गैर-सरकारी संगठनों को छोड़कर छात्रावासों के विस्तार के लिए निजी संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता के संबंध में प्रावधान, उनके परिचय पत्रों की विस्तृत जांच के बाद, यदि पीएम-अजय के तहत इसकी गुंजाइश है तो फिर से जांच की जा सकती है।

सरकार का उत्तर

पीएम-अजय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार उच्च कोटि के उच्च शिक्षण संस्थान और केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थान इस घटक के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार ऐसे विद्यालय जो केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्तुत विद्यालय भी इसके लिए पात्र हैं।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं.5.20)

समिति पाती है कि विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों और गंगा मैदानी क्षेत्रों और निचले हिमालयी क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण और छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अलग-अलग लागत मानदंड तय किए हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि हाल ही में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की सिफारिश पर लागत मानदंडों में संशोधन किया गया है। समिति उन कारणों को नहीं समझ पा रही है जिनके कारण मुद्रासफीति के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए लागत मानदंडों को समय पर संशोधित नहीं किया गया था। उनका दृढ़ विश्वास है कि यदि विभाग ने समय पर लागत मानदंडों को संशोधित किया होता, तो उन्हें

छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते थे जिससे अनुसूचित जाति के कई जरूरतमंद छात्रों को लाभ हो सकता था। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए नियमित अवधि पर निर्माण लागत के साथ-साथ मरम्मत और रखरखाव लागत को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यथार्थवादी लागत मानदंड तैयार किए जा सकें जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहतर होगा।

सरकार का उत्तर

अब तक कई कार्यान्वयन एजेंसियां स्कीम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, समय-समय पर विनिर्दिष्ट लागत मानकों के अनुसार, केन्द्रीय सहायता से बीजेआरसीवाई की तत्कालीन स्कीम के अंतर्गत मंजूर छात्रावासों का निर्माण कार्य और मरम्मत/अनुरक्षण कार्य पूरा करने में सफल हुई हैं। तथापि, स्कीम के अंतर्गत लागत मानकों की समीक्षा की जाएगी और लागत मानकों में संशोधन की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

अध्याय-चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (पैरा सं. 2.12)

समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की 60 वर्ष पुरानी योजना 2008 से बीजेआरसीवाई के नाम से चल रही है। इस योजना मे अनेक बड़े संशोधन हुए हैं। हाल का संशोधन यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना के लिए बजट आवंटन को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) में मिला दिया गया है और इसके साथ में दो अन्य योजनाएं नामत: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) तथा अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू एससीएसपी) हैं। मंत्रालय ने समिति को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि इससे अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए असीमित निधियां प्राप्त होंगी। समिति यह जानकर आश्चर्य व्यक्त करती है कि अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच के दौरान मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि इसमें वृद्धि किए जाने के बजाए 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन 160.00 करोड़ रुपए घटा दिया गया है क्योंकि 2020-21 पीएमएजीवाई के लिए बजट आवंटन तथा एसीए टू एससीएसपी और बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वास्तविक व्यय जोड़ने पर 1960.00 करोड़ रुपए बैठता है जबकि 2021-22 के दौरान यह मात्र 1800.00 करोड़ रुपए है। इसके अलावा छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग आवंटन को एक साथ मिला दिया गया है और 2019-20 से घटाया गया एकल आवंटन किया जा रहा है। समिति विभाग के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है कि एकल आवंटन से आवश्यकता का बेहतर आकलन, आयोजना तथा संसाधनों का अधिक सफल तरीके से उपयोग हो पाएगा क्योंकि योजना का कार्य-निष्पादन अत्यंत निराशाजनक रहा है क्योंकि विभाग ने 2007-08 से 2020-21 तक की 13 वर्षों की अवधि में मात्र 819 छात्रावासों को मंजूरी दी है। इसमें से 2016-17 से अब तक मात्र 110 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है इसलिए समिति को इस बात का विश्वास दिलाए जाने की आवश्यकता है कि बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रावासों के लिए तेजी से मंजूरी मिले और इनका वास्तविक निर्माण हो जिससे यह विश्वास बन सके कि अब यह कार्य एकल आवंटन से अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। समिति महसूस करती है कि अन्य योजना से प्रभावित हुए बिना अथवा अन्य योजनाओं को प्रभावित किए बिना इसके स्वतंत्र कार्यकरण के लिए विशिष्ट आवंटन जारी रहना

चाहिए था। बीजेआरसीवाई सहित तीन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान 2021-22 में पीएम-अजय के अंतर्गत कर दिया गया है। समिति आशा करती है कि पीएम-एजेएवाई आवंटन में से हर योजना के अंतर्गत कम-से-कम आंशिक आवंटन करना चाहिए था जिसमें छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए अलग-अलग आवंटन हो ताकि प्रत्येक योजना आवंटित निधियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करे और प्रत्येक योजना की सफलता का आकलन उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर हो। समिति विभाग से आशा करती है कि वह पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत बीजेआरसीवाई को सफल बनाने के लिए नई निधि की व्यवस्था के समर्थन और औचित्य को सिद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई के स्तर पर उसे वो आंकड़े प्रदान करे जो आंकड़ काफी समय से लंबित मंजूरी प्राप्त छात्रावासों को शीघ्र पूरा करने तथा जरूरतमंद ब्लॉको/जिलों में अधिक संख्या में मंजूरी के संदर्भ में दिए गए हों, जैसा कि इस विषय चर्चा के दौरान बार-बार यह बात कही गई है।

सरकार का उत्तर

पीएमएजीवाई,एससीएस से एससीपी एवं बीजेआरसीवाई के घटकों के अंतर्गत निधि आवंटन, वर्ष 2020-21 के दौरान 1960 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2021-22 के दौरान 1800 करोड़ रुपए था, यह उल्लेख किया जाता है कि पीएम-अजय हेतु उक्त राशि आवंटित की गई है जिसमें बीजेआरसीवाई घटकों में से एक है तथा यह विशिष्ट रूप से बीजेआरसीवाई के लिए नही हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वास्तविक व्यय 56.39 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान, यह 42.54 करोड़ रूपए हो गया है। चूंकि छात्रावासों के निर्माण हेतु बीजेआरसीवाई घटक मांग वाहित तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए आवश्यकता आकलन पर आधारित है इसलिए व्यय में कमी का कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से छात्रावासों के निर्माण/विस्तार तथा मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पूर्ण प्रस्तावों की कम संख्या प्राप्त होना था। व्यय समिति ने पीएम-अजय की विलयित स्कीम को जारी रखने की सिफारिश करते हुए स्कीम के लिए निर्धारित निधि के वर्षवार आवंटन की सिफारिश की है जिसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय /संस्थानों द्वारा छात्रावासों के निर्माण/विस्तार/मरम्मत और रखरखाव के लिए 2% निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, अनुदान सहायता घटक के लिए निर्धारित निधियों के 30% तक का उपयोग छात्रावासों सहित अवसंरचनात्मक ढ़ाचे के विकास हेतु किया जा सकता है जिसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हैं। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुदान सहायता घटक के अंतर्गत वर्ष 2022-23 हेतु निधियों के सांकेतिक आवंटन के बारे में कार्यान्वयनकारी राज्य सरकारों/संघ

राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है ताकि वे वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में सक्षम हो सकें।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं.3.19)

समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि विभाग के पास इस योजना के तहत स्थापित सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों का ब्यौरा नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान काफी पहले 66-1961 में किया गया था। वस्तुत:, विभाग केवल ऐसे छात्रावासों का ब्यौरा समिति को उपलब्ध करा पाया था, जिन्हें 08-2007 में योजना में संशोधन के बाद स्वीकृत/पूर्ण किया गया था। इसके लिए विभाग का स्पष्टीकरण यह था कि 08-2007 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालचय का पुनर्गठन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कुछ विभागों को इनसे अलग कर मंत्रालय बनाया गया था। फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तब से इस योजना के लिए केवल 46 वर्ष-1961) (2007का रिकार्ड प्राप्त नहीं कर पाया है। समिति के समक्ष पेश होने पर विभाग दो बार समिति को ठोस जवाब नहीं दे पाया। यह बाद में सूचित किया गया कि समिति के आग्रह के बाद अभिलेखों को पुन :प्राप्त करने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें परियोजना निगरानी इकाई से सूचना एकत्र करने के लिए कहा गया है। समिति को आशा है कि विभाग ने अब तक स्वीकृत सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों के विवरण के संकलन के लिए व्यापक कार्य किया है और चाहती है कि विभाग के सचिव द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार की गई कार्रवाई के स्तर पर इस संबंध में की गई प्रगति/एकत्र आंकड़ों की जानकारी से समिति को अवगत कराया जाये।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेख किया गया था कि विगत में कई बार मंत्रालयों के पुनर्गठन, सीमित स्टाफ संख्या रिकार्ड के बारंबार स्थानांतरण संस्थागत स्मृति से युक्त स्टाफ के बार-बार स्थानांतरण के कारण समस्त रिकार्ड का पता करना बहुत मुश्किल है। विभाग के वर्तमान स्टाफ के अथक प्रयासों से तत्कालीन बीजेआरसीवाई स्कीम के कार्यान्वयन का वर्ष 2007-08 से वर्तमान समय तक

लगभग पूरा रिकार्ड प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। अब तक मंजूर सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों का विवरण संकलित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेआरसीवाई स्कीम के अंतर्गत छात्रावासों की पूर्णता स्थिति और मंजूर/जारी निधियों की अपयुक्त स्थिति पर टिप्पणियां मांगते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 19.05.2021 और 13.01.2021 को पत्र लिखे गए थे। इसके अलावा, इन राज्यों को दिनांक 16.11.2021 और 05.03.2021 की वीडियो कांफ्रेस के दौरान यह सूचना प्रस्तुत करने के लिए गया गया था। कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्मित छात्रावासों के विवरण वाले डाटाबेस को, समय-समय पर, अद्यतन किया जा रहा है।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं.3.20)

समिति यह नोट कर दुखी है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्न साक्षरता जिलों के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में बालिका/बालक छात्रावास बनाने की योजना के उद्देश्य से 08-2007में योजना में संशोधन के बाद से केवल 819 छात्रावासों अर्थात लड़कियों के लिए391 और लड़कों के लिए 271 को ही मंजूरी दे पाया है। इनमें से अब तक केवल 662 का ही निर्माण हुआ है, 144 निर्माणाधीन बताये गए हैं और 13 को राज्यों ने विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया है। 2018 और 2020 में इस योजना में और संशोधन के बाद, जहां गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों/मानद विश्विवद्यालयों को उनके छात्रावासों के विस्तार और अनुसूचित जाति की आबादी के मानदंडों को 20 प्रतिशत या उससे अधकि से घटाकर 15 प्रतिशत या उससे अधिक करने के संबंध में दो बड़े निर्णय लिए गए थे, उसके बाद यह योजना अवरुद्ध हो गई क्योंकि उसके बाद विभाग केवल 62 छात्रावासों को ही मंजूरी दे पाया है। पूछे जाने पर विभाग ने खराब निष्पादन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि इस योजना के तहत छात्रावास के निर्माण की मंजूरी उनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करने पर निर्भर करती है। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि तुलनात्मक रूप से अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पंजाब, बिहार आदि को कम छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और यहां तक कि कई मामलों में स्वीकृत छात्रावासों को भी चालू नहीं किया गया है। इसलिए समिति का दृढ़ विश्वास है कि इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी विभाग की है क्योंकि उनके द्वारा छात्रावास सुविधा निर्माण के लिए यह योजना शुरू की गई थी ताकि देश के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की लड़कियां/लड़के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त और पूर्ण कर सकें और इसलिए वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्तावों के अभाव में बीजेआरसीवाई के प्रदर्शन में सुधान के लिए अपनी लाचारी व्यक्त करने में न्यायोचित नहीं है।

चूंकि उपलब्ध छात्रावासों की संख्या अभी भी मौजूदा अनुसूचित जाति की आबादी की तुलना में बहुत कम है और अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रावासों की आवश्यकता होती है, इसलिए विभाग को नियमित रूप से अपनाए गए सामान्य उपायों से परे अभिनव विचारों के बारे में सोचना चाहिए। चूंकि विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह तत्काल आवश्यक है कि सबसे पहले पूरे भारत में विभिन्न जिलों में छात्रावासों के लिए एक विश्वसनीय डाटाबेस बनाया जाए, जिसे केंद्रीय स्तर पर वास्तविक समय आधार पर अद्यतन करने और निगरानी की सुविधा हो। समिति को इस बात का भी आश्चर्य है कि जब इसके लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता की जा सकती है तो कमी वाले जिलों में छात्रावासों की योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती। तथापि पहले उचित मापदंडों/बेंचमार्कों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार की जा सके। इसके लिए डाटा संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता होगी। समिति इस बात पर जोर देती है कि यथा लक्षित योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति अब इस तरीके से विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी ताकि दो वर्ष की समय सीमा में अपेक्षित संख्या में छात्रावास स्वीकृति, निर्माण और प्रारंभ किए जा सकें।

सरकार का उत्तर

तत्कालीन बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना स्कीम मांग वाहित स्कीम है जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियां छात्रावासों के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। स्कीम के अंतर्गत नए छात्रावासों/वर्तमान छात्रावासों के विस्तार की योजना बनाते हुए किसी भी नए छात्रावास के निर्माण पर विचार करने से पहले कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लक्षित लाभार्थियों का मांग आधारित मूल्यांकन सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा, 15%और इससे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले और अनुसूचित जाति छात्रों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है। छात्रावासों की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष रूप से कम सेवित क्षेत्रों में, कार्यान्वयन एजेंसियों को बार-बार सूचित किया जाता है और उन्हें आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण करने तथा तद्नुसार, छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। संचालनरत छात्रावासों की उपलब्धता का डाटाबेस बनाए रखने के लिए

कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुसूचित जाति लाभार्थी छात्रों के लिए छात्रावासों की उपलब्धता, बीजेआरसीवाई की तत्कालीन स्कीम के अंतर्गत छात्रावासों की मंजूरी, उनके संचालन और छात्रावासियों की स्थिति आदि के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

पीएम-अजय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की मंजूरी की तारीख से निर्माण पूर्व कार्यकलापों सहित छात्रावासों को 27 (सत्ताईस) माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय कार्यान्वयन एजेंसियां निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा प्रदान करेंगी, जो किसी मामले में अधिकतम विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय किसी भी मामले में किसी भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और/अथवा अधिक लागत को वहन नहीं करेगा और कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब पर जीएफआर उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

सिफारिश (पैरा सं. 4.16)

समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए स्वीकृत कुल 819 छात्रावासों में से 144 छात्रावासों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और 13छात्रावासों को रद्द कर दिया गया है। समिति ने पाया है कि 09-2008 के रूप में इनमें से कई छात्रावासों को स्वीकृत किए जाने के बाद से कई छात्रावासों के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब हुआ है। इसके अलावा 8 निजी हॉस्टलों का काम भी अधूरा है। समिति ने महसूस किया कि 6 दशक से योजना अस्तित्व में होने के बावजूद विभाग ने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया है जिससे स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण समय पर हो सके। हालांकि, अब 2018 और 2020में योजना में संशोधन के बाद, विभाग द्वारा परियोजना निगरानी इकाईयों को काम की प्रगति पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी देने के साथ्-साथ यह शर्त शामिल करने सहित कई पहलें की जा रही हैं कि जिस भूमि पर छात्रावास का निर्माण किया जाना है, वह या तो राज्य सरकार के स्वामित्व में होनी चाहिए या संस्थान के स्वामित्व में होनी चाहिए और भूमि का

शीर्षक किसी भी विवाद से मुक्त होना चाहिए, जिसके सकारात्मक पिरणाम सामने आएंगे। समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि विभाग छात्रावासों के निर्माण के लिए ऐसे संस्थानों को तरजीह देगा जिनकी अपनी खुद की बड़ी भूमि हो। समिति आशा करती है कि अब इन प्रणालियों के लागू होने के साथा, उपर्युक्त 144 छात्रावासों का निर्माण दो साल की निर्धारित समय सीमा के भीतर कर लिया जाएगा। समिति विभाग को सुझाव देती है कि निर्धारित समयावधि से अधिक विलंबित परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों में उपयुक्त दंड प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि निजी संस्थानों को अब तक स्वीकृत छात्रावासों का कार्य पूरा हो सके। रद्द किए गए छात्रावासों के लिए संबंधित राज्य/यूटी सरकारों को नए और पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग अपने की गई कार्रवाई टिप्पणियों में विभाग द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दे।

सरकार का उत्तर

पीएम-अजय की विलयित स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परियोजना की मंजूरी की तारीख से निर्माण पूर्व कार्यकलापों सहित छात्रावासों को 27 माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय कार्यान्वयन एजेंसियां निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा प्रदान करेंगी जो किसी मामले में अधिकतम विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय किसी भी मामले में किसी भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और/अथवा अधिक लागत को वहन नहीं करेगा और कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब पर जीएफआर उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

तथापि, यह पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान शामिल करने से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्कीम का त्वरित कार्यान्वयन प्रभावित होगा। पीएम-अजय की विलयित स्कीम के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों में पहले ही उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय किसी भी मामले में किसी भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और लागत को वहन नहीं करेगा और कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब पर सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग, इन कार्यान्वयन एजेंसियों को अब तक मंजूर छात्रावासों की पूर्णता स्थिति, संचालन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/01/2020-एससीडी-1 दिनांक 20.07.2022)

अध्याय-पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

शून्य

नई दिल्ली;
09 दिसंबर , 2022
18 अग्रहायण , 1944 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति।

अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	12	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:- **सिफारिश पैरा सं: 5.19, 5.21 और 6.7**	03	25%
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- **सिफारिश पैरा सं: 2.13,3.21,4.17,4.18 और 5.20**	05	42%
IV.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:- **सिफारिश पैरा सं: 2.12, 3.19, 3.20 और 4.16**	04	33%
V.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं:- **शून्य**	00	00%
			100%